"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2015—श्रावण 9, शक 1937

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

TENDER NOTICE

Raipur, the 24th July 2015

No. GB-IV Paper-(1) 2015-2016/523.- 1. Sealed Tenders are invited for supply of approximately 382 M. T. (±25%) White Offset Paper and 102 M. T. other various kinds of papers i. e. Cover Manila, Maplitho Paper, Ladger Azurlaid Paper, Craft Paper, Colour Offset, Photo Copier Paper etc., for the printing works of the department to the Govt. Press at Raipur, Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing Paper 2015-16 are invited from the paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills. Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. 24-08-2015.

2. The tender will be considered only on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form downloaded from our website www.cgstate.gov.in

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders, samples and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from Office of the Director, Govt. Printing and Stationery in person on any working days during working hours upto 13-08-2015 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs. 1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, but NOT BY POSTAL ORDER/ MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form

is received in this office upto 06-08-2015. The tender form will be despatched by Registered Post or by Speed Post or Courier Services, but this office shall not be responsible, if it is delivered late, due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In Case if tenderer obtained the tender form from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (Cash) in our office one day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :- Tender form can be downloaded from www.cgstate.gov.in

(Chandrakant Uikey)
Director
Govt. Printing & Stationary,
Indira Bhawan, Block-1, Second Floor,
New Raipur, Chhattisgarh

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा, मुख्यालय-दुर्ग, जिला-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 10 जुलाई 2015

प्रारूप
[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा लोक न्यासों के पंजीयक धमधा, मुख्यालय-दुर्ग के समक्ष]

क्रमांक/1096/प्र.2/अ.वि.अ./2015.—यत: कि आवेदक आवेदक फ्रेड रॉबिन्सन आ. स्व. श्री हेनरी इमानुएल निवासी-शैल बिन्दु एच. आई. जी. 1/105 एमपीएचबी कालोनी बोरसी एक्सटेन्शन बोरसी तहसील व जिला-दुर्ग एवं अन्य 05 लोगों के द्वारा "भिलाई कानग्रिगेशन ऑफ जेहोवास बिटनेसेस रिलिजियस ट्रस्ट" ग्राम कुम्हारी तहसील धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) के लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है. कि कथित आवेदन पर दिनांक 20-8-2015 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"भिलाई कानग्रिगेशन ऑफ जेहोवास बिटनेसेस रिलिजियस ट्रस्ट" ग्राम कुम्हारी तहसील धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

जी. आर. मरकाम,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

खरसिया, दिनांक 4 जुलाई 2015

प्रकरण क्र. 1 /बी-113/2014-15.—एतद्द्वारा आम जनता नगर खरसिया प. ह. नं. 22 तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.) को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामनाथ राठौर, अध्यक्ष प्रस्तावित श्री राधा कृष्ण मंदिर, धर्मादा ट्रस्ट पुरानी बस्ती, खरसिया, तहसील खरसिया जिला रायगढ़ (छ. ग.) द्वारा श्री राधा कृष्ण मंदिर को धर्मादा ट्रस्ट पंजीयन करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों की सूची के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है-

1.	श्री रामनाथ राठौर	अध्यक्ष
2.	श्री कन्हैयालाल राठौर	उपाध्यक्ष
3.	श्री जगन्नाथ शर्मा	कोषाध्यक्ष
4.	श्री संतोष कुमार राठौर	उपकोषाध्यक्ष
5.	श्री महेश कुमार राठौर	उपकोषाध्यक्ष
6.	श्री खिलावन सिंह राठौर	सचिव
7.	श्री राजेश्वर राठौर	उपसचिव
8.	श्री जयप्रकाश राठौर	उपसचिव

एवं संरक्षक श्री जयप्रकाश अग्रवाल, श्री धर्मलाल राठौर, श्री सुधीरदास महंत, श्री बनवारी लाल अग्रवाल, श्री ऋषि अग्रवाल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री रामअवतार राठौर, श्री दिलेश्वर प्रसाद राठौर, श्री रामेश्वर प्रसाद राठौर, श्री मुरली मनोहर राठौर, श्री धनेश्वर प्रसाद राठौर हैं.

ट्रस्ट का मुख्य धार्मिक होना तथा जन भावना के अनुसार श्री सांई मंदिर एवं गणेश मंदिर एवं अन्य नया मंदिर निर्माण कराना बताया गया है.

आवेदित धर्मादा ट्रस्ट का पंजीयन करने में जिस किसी को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के साथ प्रकरण में नियत दिनांक 24-07-2015 को न्यायालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है, ध्यान रहें नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 04-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से उद्घोषणा जारी किया गया.

बी. एस. मरकाम,
अनुविभागीय अधिकारी (रा).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.